



42

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी / जिला-सिंगरौली

निगरानी / सिंगरौली / भूराजस्व / 2018 / 0351

अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री जगतलाल वानी, उम्र- , निवासी-ग्राम सरई थाना एवं तहसील जिला सिंगरौली म.प्र.निगरानीकर्ता

श्री लक्ष्मण शर्मा को प्रस्तुत! दिनांक 15/01/18 हेतु नियत। राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

- 1 रामनारायण पिता मोलई जायसवाल उम्र-42 वर्ष
- 2 छोटुक पिता मोलई जायसवाल उम्र-40 वर्ष
- 3 भोला पिता मोलई जायसवाल उम्र-37 वर्ष
- 4 लालजी पिता मोलई जायसवाल उम्र-35 वर्ष
- 5 विजय पिता रामलल्लू जायसवाल उम्र-25 वर्ष, सभी निवासीगण-ग्राम सरई थाना एवं तहसील सरई जिला सिंगरौली म.प्र.
- 6 म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली म.प्र.।

.....प्रत्यार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता राजस्व प्रकरण क्रमांक 8अ-12/2012-13 वउनवान लालजी जायसवाल बनाम शासन म.प्र. मे पारित आदेश दिनांक 10.04.2013 के विरुद्ध जोकि राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली म.प्र. द्वारा पारित किया गया।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यहकि निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली के

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- दो / निगरानी / सिंगरौली / भू.रा. / 2018 / 0351

अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध रामनारायण आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई अनुपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री देवेन्द्र कुशवाह अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई, तहसील सरई जिला-सिंगरौली के प्र.क्र. 8/अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10-04-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 05/3119</p>